

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं.

44378

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद ..... फिरोजाबाद ..... उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या F.I.80/ फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/ १०८०

दिनांक 17/01/2010

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक,  
मैकार्स - ई-ड्स मैकेरिप्ल फिल्म्स  
फ्लूल, लैटरफॉड, लिफ्ट्स। इंडिया  
जनपद ..... फिरोजाबाद

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेरिटिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या ..... — ..... दिनांक 15/01/2010

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध ..... 10 .....  
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेरिटिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1) / आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के  
अनुसार निर्धारित ब्रूल रूपये ..... 100/- ..... भारतीय स्टेट बैंक शाखा ..... फिरोजाबाद .....  
जनपद ..... फिरोजाबाद ..... में चालान संख्या ८००५० ..... दिनांक 17/01/2010 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद  
प्राप्त होने के उपरान्त ..... 10 ..... अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक 5/01/2010
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। —
3. संस्थान का विवरण 84वें
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 10
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेरिटिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
	<u>A.B.C type</u>	<u>06 kg.</u>	<u>06</u>	<u>कार्यशील</u>
	<u>D.E.P.</u>	<u>05 kg.</u>	<u>04</u>	<u>"</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेरिटिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी ..... F.R.I ..... |
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय ..... |

लालू  
(नाम एवं हस्ताक्षर)  
अग्निशमन अ/  
मुहर